(वाद संख्या–7469/18)

09.01.2020

परिवादीगण, मो0 मेराज उद्दीन, संगीता कुमारी व अब्दुल सतार, उपस्थित हैं।

परिवादीगण को सुना व संचिका का अवलोकन किया।

प्रस्तुत मामला, लोक शिक्षकों के समायोजन/नियोजन में, पूर्व अनुभव के आधार पर अधिमानता देकर नियोजित किये जाने से संबंधित है।

पूर्व में परिवादीगण व अन्य लोक शिक्षकों की ओर से माननीय पटना उच्च न्यायालय में कई रिट याचिकाएं (C.W.J.C सं0–14493/2008 व अन्य समरूप याचिकाएं) दाखिल की गयी थी। उपरोक्त याचिकाओं की एक साथ सुनवाई करते हुए माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा परिवादीगण व अन्य की याचिकाएं को मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार सरकार के प्रधान सचिव के समक्ष समायोजन/नियोजन के संबंध में अभ्यावेदन दाखिल करने का निर्देश देते हुए समस्त रिट याचिकाएं को एक साथ निस्तारण कर दिया गया। उक्त के आलोक में लोक शिक्षकों द्वारा प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के समक्ष अभ्यावेदन दिया गया। प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक–31.08.2015 को लोक शिक्षकों की ओर से दाखिल समस्त अभ्यावेदनों को इस आधार पर सकारण आदेश पारित कर अस्वीकृत कर दिया गया कि **बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2012 एवं बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2012 के अन्तर्गत शिक्षक पद के लिये शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने व प्रशिक्षित होने की अनिवार्यता है।** शिक्षक की नियुक्ति में लोक शिक्षकों का लोक शिक्षक के रूप में किये गये कार्य के आधार पर अधिमानता देने या समायोजन करने का उपरोक्त कथित नियमावली में कोई प्रावधान नहीं है। प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना द्वारा यह भी उल्लेखित किया गया है कि **बिहार सरकार ने यह निर्णय लिया है कि लोक शिक्षक का समायोजन किया जाना वैधानिक दृष्टि से समीचीन नहीं है।** परिवादी की ओर से आयोग को सूचित किया गया कि उनकी ओर से प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक–31.08.2015 को पारित आदेश को माननीय पटना उच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी गयी है।

प्रसंगाधीन मामले में यह स्वीकृत तथ्य है कि लोक शिक्षक सरकारी कर्मचारी नहीं है।

अतः उक्त के आलोक में प्रसंगाधीन मामले को बंद किया जाता है।

तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

ह0/–

(उज्ज्वल कुमार दुबे)

कार्यकारी अध्यक्ष

सहायक निबंधक